विलोपित विलोपित

# न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा/2917/2075 प्रकरण कमांक- /

1. खूब सिंह यादव आ. हरिसिंह यादव आयु वयस्क
2. श्रीमती रानी यादव पत्नि खूब सिंह यादव आयु वयस्क

दोनों निवासी-01 कृष्णकुंज मुर्गी बाजार शाहजानाबाद भोपाल --- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

मेसर्स वात्सल्य इन्फ्रा बिल्ड प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर (1) प्रकाश गजभिये (2) नवनीत गजभिये आयु वयस्क पुत्रगण श्री एन.एस. गजभिये पता-प्लाट नं0-आर-11, हरदेव काम्पलेक्स जोन-2 एम0पी0 नगर भोपाल म0प्र0 --- उत्तरदातागण

श्री ... द्वारा आज दि. 4-7-17 को प्रस्तुत
रीडर बोर्ड कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

## निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

उक्त निगरानी अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल म0प्र0 द्वारा प्रकरण कमांक 133/अपील/2016-17 में पारित आलोच्य अन्तिम आदेश दिनांक 08/05/2017 के विरुद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है :-

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर / निग / भोपाल / भू.रा. / 2017 / 2075 जिला भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 13–7–2017 | आवेदकगण की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें सुना गया । अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–5–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के द्वारा आवेदकपक्ष की द्वितीय अपील ग्राह्यता के बिन्दु पर अग्राह्य की गई है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अपील अग्राह्य करने के कोई कारण नहीं दर्शाये है । सामान्यतः संहिता के अन्तर्गत द्वितीय अपील का गुणदोष पर निराकरण करना चाहिये । अतएत उक्त विवेचना के प्रकाश में अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाता है । प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत ग्राह्यता के संबंध में निर्णय लें ।<br><br>अध्यक्ष | |